एक सबक़ इस्लाम से

सफ़वतुल उलमा मौलाना सैय्यद क़ल्बे आबिद साहिब क़िब्ला ताबा सराह

पिछले शुमारे से आगे

नबूवत (ईश्वरीय दूतवाद)

इस्लाम के उसूल में एक, अस्ल नबूवत या ईश्वरीय दूतवाद है इसका मानना भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने व्यक्तियों की हिदायत (पथ प्रदर्शन) और रहनुमाई यानी रास्ता दिखाने और उन्हें इहिलोक और परलोक में सफलता प्राप्त करने का पथ प्रदर्शन करने के लिए अपनी ओर से कुछ लोगों को नियुक्ति किया जो यद्यपि कि मनुष्य थे मगर अपने अन्दर की पवित्रता और आत्मा की बुलन्दी या ऊँचाई के कारण, इसकी योग्यता रखते थे ईश्वर के आदेश प्राप्त कर सकें। उसके उद्देश्य और मर्ज़ी को समझकर दूसरों तक पहुँचा सकें। उनके आचरण और कर्म की मज़बूती पर ईश्वर को इतना भरोसा होता है कि वह जानता है कि मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध कोई बात नहीं करेंगे। ईश्वर को तौफीक़ (प्रेरणा) उनकी साथी बनके उनको भूल–चूक से बचाती है। इसी ''मलका'' (ऐसी दक्षता जो प्रवृत्ति बन जाये) का नाम ''इस्मत'' (दोष से सुरक्षित होना) है। और इस्मत की आवश्यकता इसलिए है लोगों को उनकी बात पर पूरा भरोसा और उनके सन्देश पर पूरा विश्वास रहे। उनके पंथ वाले उनके बताये हुए मार्ग और कही हुई बातों पर आँखें बन्द करके इतमीनाने नफ़्स (आत्म सन्तोष) के साथ अमल कर सकें। ईश्वर ने इस प्रकार के बन्दों (व्यक्तियों) को प्रत्येक देश और जाति के मार्ग प्रदर्शन के लिए भेजा जिनमें से कुछ प्रसिद्ध पैग़म्बरों का उल्लेख कुर्आने मजीद में है।

हज़रत आदम पैग़म्बरों की श्रंखला की, सबसे पहली कड़ी और अन्तिम पैग़म्बर जिन पर वह सिलसिला पूरा हो गया, हमारे पैग़म्बर जनाब मुहम्मद मुस्तफा (स0) हैं। जिनके पश्चात न कोई शरीअत (धर्मविधि) आएगी और न कोई पैग़म्बर भेजा जायेगा। नबूवत अर्थात् पैग़म्बरी की समाप्ति का विश्वास भी दीन या धर्म के अनिवार्य विश्वासों में से है। कुर्आन मजीद और सहीह हदीसों (प्रमाणिक अनुहारों) जिन्हें सार्थक निरन्तरता प्राप्त है, इन सबसे हमारे पैग़म्बर पर नबूवत अर्थात् पैग़म्बरी की समाप्ति सिद्ध और निश्चित है। अतः नबूवत की समाप्ति का इन्कार करने वाला इस्लाम की परिधि से बाहर और ग़ैर मुस्लिम है।

जिन पैग़म्बरों का नाम कुर्आन मजीद या 'सहीह हदीसों' में है, उन पर विस्तार पूर्वक और और जिनका विस्तृत वर्णन नहीं मिलता उन पर इजमालन यानी अविस्तृत रूप से ईमान या विश्वास रखना चाहिए। अर्थात् हम उन समस्त पैग़म्बरों को मानते हैं जो ईश्वर की ओर से आए हैं चाहे वह जो भी हों। कुर्आन मजीद ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि कुछ पैग़म्बरों का वर्णन किया गया है और कुछ का वर्णन नहीं किया गया है।

सूरा ''निसा'' की 162 वीं आयत में कहा जा रहा है कि ''कुछ पैग़म्बर ऐसे हैं जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा हमने नहीं की है।''

प्रसिद्ध यह है कि ईश्वर को ओर से भेजे हुए पैग़म्बरों की संख्या एक लाख चौबीस हज़ार है। कुर्आन मजीद और इस्लाम की नज़र में मनुष्यों का पथ प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि जिस व्यक्ति (फ़र्द) से संसार में मानववंश चला अर्थात् जनाब आदम, ईश्वर ने उन्हीं को अपना नबी और ख़लीफा बनाया ताकि कोई एक व्यक्ति भी यह न कह सके कि मेरे लिए रास्ता दिखाने वाला अर्थात् पथ प्रदर्शक न था।

पैग़म्बरों की आवश्यकताः

कुर्आन मजीद नबियों और रसूलों (पैग़म्बरों) की श्रंखला को क़ायम करने की वजह का वर्णन करते हुए एलान करता है, ''हमने अपने रसूलों को उनकी सच्चाई (सत्यता) की खुली हुई निशानियाँ देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ाने अमल (कर्म की तुला) उतारी ताकि मानव वंश अदल (न्याय) या इंसाफ के द्वारा निरन्तरता और सुदृढ़ता यानी बक़ा और मज़बूती प्राप्त करें।

इस आयत से निष्कर्ष यह निकलता है कि बग़ैर ईश्वर की शिक्षा के सहीह अर्थों में इंसाफ या न्याय मिलना सम्भव नहीं है। और न्याय के बिना मानवता की नीव मज़बूत नहीं हो सकती। न्याय का अर्थ है प्रत्येक को उसका हक़ (अधिकार) मिलना। व्यक्ति को वह हक़ प्राप्त हो, जो उसके लिए उचित है। समाज को वह हक़ मिले कि जिसका वह हक़दार है। व्यक्ति अपने नफ़्स (अपने आप) के साथ वह व्यवहार करे कि नफ़्स पर ज़ुल्म न होने पाये। शरीर और आत्मा दोनों के साथ न्याय किया जा सके। न्याय के समक्ष 'अन्याय' (ज़ुल्म) है, ज़ुल्म का अर्थ है बात का बेजा होना। तो न्याय का अर्थ हुवा कि मौक़े और अवसर के अनुसार कार्य। हम कभी फैसला नहीं कर सकते कि कोई कार्य बे मौक़ा है या मौक़े के अनुसार है। जब तक सम्बन्धित कार्य या अमल की मंजिल तय न हो जाए। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति हमारी महफिल या गोष्ठी में आये तो जब तक हम उसके रुतबे से वाक़िफ (अवगत) न हों, यह फैसला सम्भव नहीं कि उसका स्वागत और आव–भगत किस प्रकार करें। उसे किस स्थान पर बिठायें। लेकिन मनुष्य का ज्ञान इतना महदूद (सीमित) है कि वह स्वयं अपने नफ़्स ही के सम्बन्ध में फैसला नहीं कर सका कि उसमें क्या–क्या गुण हैं। हमारा नफ़्स ही इतना तहदार है कि आज तक हम इसी को न पहचान सके।

मनुष्य के प्रत्येक कार्य, नीयत और विचार से भी उसका नफ़्स प्रभावित होता है। यह प्रभाव कभी चेतना की सतह पर ज़ाहिर (प्रगट) हो जाता है और कभी अवचेतन के पर्दे में छुपा रहता है, जो स्पष्ट होने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करती है। हमें नहीं मालूम कि हमारे किस कर्म या नीयत का प्रभाव हमारी चेतना अथवा अवचेतना पर क्या पड़ेगा! यही नही, हम एक घर के रहने वाले भी हैं, एक परिवार के सदस्य भी हैं, एक देश में बसते भी हैं। किसी क़ौम में दाख़िल हैं

और पूरी मानव जाति का एक अगं हैं। हमारे हर कार्य का सम्बन्ध इन सबसे भी है। जिस तरह एक छोटी सी कंकरी जब तालाब में पड़ती है तो उसकी लहरें दूर–दूर तक जाती हैं, उसी तरह हमारा हर अमल (कार्य) भी हमारे घर–परिवार और समाज को प्रभावित करता है। मैंने पहले ही यह बात सिद्ध कर दी है कि हम अपने निज ही के बारे में ही न्याय करने की योग्यता नहीं रखते तो हम कैसे यह बात तय कर सकते हैं कि हमारा सम्बन्ध परिवार वालों, ख़ानदान वालों, समाज वालों और मानव जाति के प्रति क्या हो! और उनके क्या–क्या हक़ हम पर हैं! सब सांसारिक जीवन के लिए न्याय करने का बोझ अकेले हमारी बुद्धि सहन नहीं कर सकती तो कैसे यह बात समझ में आ सकती है कि (आख़िरत) परलोक के अमर जीवन के लिए क्या अमल किया जाए। भावनाओं और इच्छाओं से घिरी बुद्धि, पक्षपात और आपसदारी के सम्बन्धों में जकड़ा हुवा वातावरण और आदत, दबाव से कुचली हुई निर्णय शक्ति और सीमित ज्ञान के सहारे, जो कुर्आन के शब्दो में, ''तुम्हें हमने ज्ञान नहीं दिया मगर बस थोड़ा सा'' को चरितार्थ करता है।

मानव जीवन के सभी पक्षों को सामने रखते हुए फैसला करना, मनुष्य के अपने बस से बाहर है। अतः नियम वह बनाये जो प्रत्येक वस्तु पर छाया हो, जो मेहरबान भी हो और प्रत्येक चीज़ का जानने वाला भी हो, जिसका ज्ञान वाह्य और आन्तरिक पर छाया हो, जिससे कोई बारीक से बारीक वस्तु भी छुपी न हो और यह ज़ात, अल्लाह के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। अतः इस्लाम, विधायन का अधिकारी (क़ानून बनाने का हक़दार) केवल ईश्वर को समझता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से सम्पर्क स्थापित करके उसके तय किये हुए नियमों को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए आवश्यकता पड़ी ऐसे माध्यम और सूत्र की जो ईश्वर से सम्पर्क रखता हो ताकि अहकाम (आज्ञा) प्राप्त कर सके और मानव से भी उसका सम्बन्ध हो ताकि ईश्वर का सन्देश पहुँचा सके, ईश्वर के नियम की सहीह व्याख्या कर सके और उसकी रक्षा का भी उत्तरदायी हो। यही लोग धर्मशास्त्र की परिभाषा में अम्बिया और ''मुरसलीन'' (पैग़म्बर) कहलाते हैं।

ब्रह्माण्ड का पैदा करने वाला केवल विधाता मात्र ही नहीं बल्कि संसार का पालने वाला भी है। अर्थात् जिसने पैदा किया है, वही उसके निज़ाम (व्यवस्था) को चला भी रहा है। चलाने का तात्पर्य यह नहीं है कि संसार बिना निश्चित मार्ग और बिना निश्चित उद्देश्य के लुढ़कता चला जा रहा है।

सभी दार्शनिकों का इस पर इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है कि द्रव्य की रफ़्तार का रुख़ प्रगति की ओर है, वह नीची मंज़िल को छोड़कर उच्च मंजिल की ओर अग्रसर (गामज़न) है। छोड़ी हुई मंजिल की ओर कभी पलट कर नहीं आता। माद्दीयत परस्त (भौतिकवादी) जिसको द्रव्य का 'स्वाभाविक रुजहान' कहते हैं। हम धर्म वाले उसी को ईश्वर की दलील और प्रमाण मानते हैं।

(जारी)